Email/Whatsapp

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(उत्तराखण्ड राज्य सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय- अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड,देहरादून-248001
फोन न0 :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488, Email- vanvikas12@gmail.com, website- ukfdc.uk.gov.in

पत्रांक :- वि0 1608 /16-2/ई-आक्शन/ई-नीलाम शर्तें/(2) दिनांकः-09 ,जुलाई 2020

कार्यालय आदेश

वनोपज प्रकाष्ठ आदि की बिक्री की E-Auction शर्तें/निर्देश

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के विभिन्न प्रकाष्ठ विक्रय डिपुओं में भण्डारित वनोपज प्रकाष्ठ आदि की बिक्री Uttarakhand Forest Development Corporation Management Software-UVMS के माध्यम से E-Auction के द्वारा किये जाने हेतु सार्वजनिक नीलाम शर्तें निर्धारित की जाती है :-

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पत्रांक एन - 1283/113/डिपो जनरल दिनांक 21.06.2005 से निर्गत सार्वजनिक नीलाम शर्तें (यथासंशोधित), सामान्य सार्वजनिक नीलाम Table-Auction हेतु यथावत लागू हैं।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम मैनेजमेण्ट सॉफ्टवेयर Uttarakhand Forest Development Corporation Management Software-UVMS के माध्यम से वनोपज प्रकाष्ठ आदि की बिक्री ई-नीलाम/ E-Auction के माध्यम से किये जाने एवं तत्सम्बन्धी ई-भुगतान के शर्तें/प्रक्रिया :-

1. **E-Auction में प्रतिभाग करने हेतु E-Auction क्रेता पंजीकरण :-**

1.1 E-Auction में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक क्रेता को उत्तराखण्ड वन विकास निगम में पंजीकरण कराना आवश्यक है, केवल पंजीकृत क्रेता ही E-Auction/ई-नीलाम में प्रतिभाग कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पृथक से निर्धारित है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के किसी भी प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर E-Auction क्रेता पजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

2. **E-Auction तिथि एवं समय :-**

2.1 डिपोवार E-Auction हेतु तिथि निर्धारित है जो वन निगम की Website, सूचना पट्ट आदि में प्रदर्शित है।

2.2 ई-नीलाम/E-Auction की सामान्य अवधि प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक होगी परन्तु जिस लौट में अपरान्ह 3.55 से 04.00 बजे के मध्य बोली प्राप्त होती है तो मात्र उन लौटों में ई-नीलाम/E-Auction की अवधि अपरान्ह 06.30 बजे तक विस्तारित हो जायेगी, तदुपरांत समय अवधि विस्तारित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त लौट या लौटों के समूह के लिये एक निश्चित समयावधि/ समय अन्तराल निश्चित किया जा सकता है। यदि क्रेता चाहे तो किसी भी लौट पर "आटोबिड" (Autobid) व्यवस्था का उपयोग कर सकता है परन्तु ई-नीलाम /E-Auction के बीच में अपरान्ह 3.55 बजे के बाद "आटोबिड" (Autobid) की व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। परन्तु ई-नीलाम तिथि एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है। ई-नीलाम/E-Auction सम्पन्न होने के उपरांत लौटवार उच्चतम बोली UVMS सिस्टम में प्रदर्शित की जायेगी।

पत्रांक 1608 दिनांक 9.7.2020 08.07.2020 8.7.2020 PTO

3. E-Auction बिक्री :-

3.1 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रकाष्ठ डिपुओं में भण्डारित वनोपज प्रकाष्ठ आदि की बिक्री लौटवार होती है।

3.2 लौट की बिक्री सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होती है, परन्तु किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित है।

3.3 लौट में वनोपज प्रकाष्ठ आदि की यथावश्यक सुसंगत विवरण प्रजाति/किस्म–नपत/मात्रा आदि का उल्लेख किया जाता है।

3.4 नपत की ईकाई :-

3.4(1) गोला एवं चिरान प्रकाष्ठ के प्रत्येक नग की नपत के आधार पर आगणित आयतन घन मी0 है।

3.4(2) जड़-जलौनी की नपत लंबाई x चौड़ाई x ऊचाँई के आधार पर चट्टा आयतन है।

3.4(3) बांस की नपत ईकाई ग्रुपवार नगों की संख्या के आधार पर कौड़ी तथा बेंत की लंबाई के आधार पर बंडल है।

3.4(4) कोयला, असना, छाल, बुरादा का भार के आधार पर क्विंटल है।

3.5 यद्यपि लौट का विवरण,नपत–मात्रा आदि विक्रय सूची में स्पष्ट एवं शुद्ध अंकित होता है, तथापि क्रेता को चाहिए कि बोली देने से पूर्व लौट को भली–भाँति देख लेवें, तथा गुण–दशा के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेवें, बोली देने के उपरांत लौट की गुणदशा के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार/मान्य नहीं है।

4. जमानत :-

4.1 निर्धारित समय पर जब ई–नीलामी समाप्त हो जायेगी तो तद्नुसार वेबसाइट (Website) पर प्रदर्शित लौट की उच्च बोली देने वाले क्रेता द्वारा जमानत हेतु उच्चतम बोली का (1) रू0 10,000/– तक की लौट हेतु 30% (तीस प्रतिशत) एवं (2) रू0 10,000/– से अधिक की लौट हेतु 10% (दस प्रतिशत) किन्तु न्यूनतम 3000/– (तीन हजार), तत्समय देय जी0एस0टी0 आदि एवं अन्य कर अतिरिक्त भुगतान किया जाना आवश्यक है।

4.2 समस्त क्रेता गण जो ई–नीलाम के माध्यम से लौटों का क्रय करते हैं वे ई–पेमेंट/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड (E-Payment/Debit card/Credit card) अथवा चालान (Challan)/ एन0ई0एफ0टी0 (NEFT)/ आर0टी0जी0एस0 (RTGS) के माध्यम से धनराशि वन निगम के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत जमा कर सकते हैं।

4.3 जमानत जमा करने हेतु E-Auction तिथि के उपरांत अगले 2 (दो) कार्य दिवस तक जमानत जमा कर दी जाये तदुपरान्त विलम्ब शुल्क 0.25 प्रतिशत (उच्चतम बोली का) (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) सहित अगले 2 (दो) कार्य दिवस में जमानत जमा करायी जा सकती है।

4.4 निर्धारित समयांतर्गत देय जमानत न जमा करने वाले क्रेता का पंजीकरण निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी और क्रेता को काली सूची में दर्ज करते हुए वन निगम में प्रकाष्ठ आदि के ई–नीलाम में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है।

4.5 जमा जमानत लौट अनुमोदित होने पर विक्रय मूल्य संबंधी धनराशि के विरूद्ध समायोजित की जायेगी तथा निरस्त होने की दशा में क्रेता को वापस कर दी जायेगी। जामनत धनराशि अगले 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्तर्गत क्रेता को उनके द्वारा जिस खाते से जमानत जमा कराई गयी है अथवा क्रेता के लिखित अनुरोध के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जा सकेगी।

8.7.2020 08.07.2020

पत्रांक 1608 दिनांक 9.7.2020

5. **लॉटों का अनुमोदन :-**

5.1 E-Auction सम्पन्न होने के उपरांत वन निगम के सक्षम स्तर से लौट का अनुमोदन जारी किया जाता है जिसके आधार पर संबंधित डिपो अधिकारी द्वारा लौट की अनुमोदन सूचना सफल क्रेता को ई-मेल/एस0एम0एस0 या अन्य संचार माध्यम से डिपो स्तर से प्रेषित की जायेगी।

5.2 लौट की अनुमोदन सूचना ई-आक्शन तिथि से सामान्तया 40 (चालीस) दिन के अंदर जारी कर दी जाती है किन्तु 40(चालीस) दिन के अंदर अनुमोदन जारी न हो पाने की दशा में क्रेता लौट के विरूद्ध जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु स्वतंत्र है।

5.3 लौट का अनुमोदन पत्र जारी होने पर क्रेता के डैशबोर्ड में लौट के देयक दर्शित हो जायेंगे।

6. **लौट की पुनर्नपत :-**

6.1 लौट में अंकित वनोपज गोल प्रकाष्ठ एवं चिरान प्रकाष्ठ (जड़/जलौनी एवं अन्य को छोड़कर) की मात्रा में अन्तर होने का सन्देह होने पर क्रेता चाहे तो लौट का अनुमोदन जारी होने की तिथि से दो सप्ताह (14 दिन) के अन्दर मय नपत शुल्क-लौट के विक्रय मूल्य का 2% (दो प्रतिशत) या न्यूनतम रू 500/- (पाँच सौ) जो भी अधिक हो (देय कर अतिरिक्त) सहित पुनर्नपत का लिखित आवेदन संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत कर लौट की नपत कराई जा सकती है।

6.2 प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा गठित समिति, जिसमें क्रेता या क्रेता का अधिकृत प्रतिनिधि अवश्य हो, के द्वारा लौट की मात्रा का पुनर्नपत किया जायेगा। पुनर्नपत में लौट की कुल मात्रा के सापेक्ष 2% (दो प्रतिशत) से अधिक का अन्तर पाये जाने पर लौट की बिक्री निरस्त कर दी जायेगी तथा क्रेता की लौट के विरूद्ध जमा जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी। अन्तर/कमी 2% (दो प्रतिशत) से कम होने की दशा में पुनर्नपत हेतु क्रेता की जमा धनराशि जब्त हो जायेगी और नियमानुसार लौट की बिक्री कार्यवाही होगी।

7. **लौट के विरूद्ध देयको का भुगतानः-**

7.1 लौट के देयकों का भुगतान, अनुमोदन सूचना के आधार पर क्रेता के डैश बोर्ड में दर्शित धनराशि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमा किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अनुमोदन सूचना एवं डैश बोर्ड में देयकों की भिन्नता होने पर क्रेता द्वारा पुष्टि संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक कार्यालय में किये जाने के आधार पर भुगतान किया जाये।

7.2 लौट के विक्रय के विरूद्ध मूल्य, आयकर, जी0एस0टी0, मंडी शुल्क, अभिवहन शुल्क एवं अन्य देय कर जो बिल जारी होने की तिथि में लागू हैं, देय है।

7.3 अनुमोदन सूचना प्रेषण तिथि से 21 दिनों तक लौट के देयकों के भुगतान की समयावधि है। लौट का विक्रय मूल्य बावत् प्रबन्ध निदेशक "Managing Director Uttarakhand Forest Development Corporation" के खाते में एवं कर/शुल्क आदि बावत् सम्बन्धित " Divisional Sales Manager Uttarakhand Forest Development Corporation ...." के खाते में ई-पेमेंट की व्यवस्था के अन्तर्गत UVMS साफ्टवेयर के माध्यम से क्रेता द्वारा भुगतान किया जाना है। अभिवहन शुल्क अलग से लौट की निकासी के समय जमा किया जाना है।

P70

पत्रांक 1608 दिनांक 9.7.2020

UVMS/E-Auction Terms/2020

7.4 कर/शूल्क में छूट चाहने वाले क्रेता द्वारा सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना /प्रमाण पत्र की वैधता एंव पुष्टि का दायित्व क्रेता पर है।

7.5 क्रेता द्वारा अपने LOGIN ID (लॉगिन आई0डी0) पर अपने बैंक खातों के अंकित विवरण के सत्यापन हेतु सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 (One Time Password) आधारित व्यवस्था लागू होगी। एक बार सत्यापन होने की दशा में भविष्य के लिए क्रेता के बैंक खातों का विवरण सत्यापित माना जायेगा।

7.6 ई–नीलाम के माध्यम से क्रय की गयी लौट की धनराशि ही जमा कर सकने हेतु लौट वार चालान जनरेट हो सकेगा। ई–नीलाम में एक लौट अथवा एक से अधिक लौटो का चालान भी जनरेट हो सकेगा। प्रत्येक चालान की एक यूनिक आई0डी0 (पहचान) होगी, जो उन्हीं लौटों के लिए होगी, जो चालान पर प्रिंट होगी। जमा की जाने वाली धनराशि चालान में अंकित धनराशि से कम या अधिक नहीं होनी चाहिए तथा बैंकिग चार्ज क्रेता को स्वयं वहन करना होगा अन्यथा यह धनराशि अस्वीकार होकर क्रेता के खाते में वापस चली जायेगी जिसके लिये क्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

7.7 लौट सम्बन्धी धनराशि, तत्समय लागू व्यवस्था ई–पेमेंट/डेबिड कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा चालान/एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कर सकते है।

7.8 ई–भुगतान के सम्बन्ध में डिपो अधिकारी अथवा डिपो लेखाकार या दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगी हुई रसीद ही वैध/मान्य है।

8. **<u>विक्रय मूल्य के भुगतान पर छूट की व्यवस्था :–</u>**

लौट के देयक कम समयावधि से जमा कराये जाने पर नगद छूट निम्नवत अनुमन्य होगी:–

क्रेता द्वारा अनुमोदन सूचना तिथि से 10 (दस) दिन के अन्दर लौट के समस्त देयक जमा करने पर (क) शंकुधारी प्रकाष्ठ एवं कोमलकाष्ठ (निम्न अनुसूची) में 03 (तीन) प्रतिशत तथा (ख) अन्य प्रकाष्ठ जड़/जलौनी में 01 (एक) प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

1. पौपलर, 2. सेमल 3. गुटेल 4. पूला 5. कंजू 6. झींगन 7. एलन्थस/अरू 8. हल्दू 9. फल्दू 10. बौरंग 11. गूलर, 12. खरपट 13 गोजीना 14. पेपर मलबरी, 15. ढाक, 16. तुन, 17. मसवरी, 18. सिरस, 19. बहेड़ा, 20. बरगद, 21. पीपल, 22. वाकली।

छूट हेतु उपरोक्त निर्धारित अवधि में बैंक अवकाश/बैंक बंदी के कारण भुगतान हेतु कोई भी अतिरिक्त अवधि देय नहीं होगी। क्रेता को छूट की व्यवस्था का लाभ लेने के लिये उपरोक्तानुसार 10 दिन के अंदर ही समस्त देय धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।

9. **<u>विलम्ब शुल्क:–</u>**

निर्धारित समयान्तर्गत लौट के देयक न जमा करने पर देय धनराशि का निम्न निर्धारित दर से आगणित विलम्ब शुल्क सहित लौट के देयक क्रेता द्वारा जमा कराये जा सकते हैं।

अनुमोदन सूचना जारी होने की तिथि से 21वें (इक्कीसवें) दिन के बाद (1) प्रथम 07 (सात) दिन तक 0.25 प्रतिशत/प्रतिदिन (2) अगले 07 (सात) दिन तक 0.50 प्रतिशत/प्रतिदिन।

पत्रांक 1608 दिनांक 9.7.2020 08.07.2020 8.7.2020

10. **लौट की जमानत जब्त :–**

बिन्दु संख्या 8 तथा 9 में उल्लेखित समयान्तर्गत लौट के देयक न जमा करने पर लौट की जमा जमानत जब्त हो जायेगी, लौट का विक्रय/निस्तारण भी ई–नीलाम/भौतिक नीलाम के माध्यम से करने हेतु वन निगम स्वतंत्र रहेगा।

11. **लौट के वनोपज की निकासी :–**

11.1 लौट के समस्त देयक जमा होने के उपरांत लौट के वनोपज की निकासी हेतु अनुमोदन सूचना जारी होने की तिथि से अधिकतम 42 (बयालीस) दिन अनुमन्य हैं।

परन्तु लौट के समस्त देयक/धनराशि वन निगम के पक्ष में जमा होने के उपरांत ही क्रेता को निकासी दी जायेगी।

11.2 यदि क्रेता किसी कारणवश 42 दिनों के अंदर डिपो से लौट की पूर्ण/आंशिक निकासी नहीं कर पाता है तो उक्त दिनों के बाद 30 दिनों तक निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11.2.1 प्रथम 15 (पन्द्रह) दिन तक 0.25 प्रतिशत/प्रतिदिन की दर से प्लाट रेंट तद्नुसार जी0एस0टी0 सहित अनुमति प्रदान किये जाने हेतु डिपो अधिकारी अधिकृत हैं।

11.2.2 अगले 15 (पन्द्रह) दिन अनुमति प्रदान करने हेतु 0.50 प्रतिशत/प्रतिदिन की दर से प्लाट रेंट तद्नुसार जी0एस0टी0 सहित अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक अधिकृत हैं।

12. **लौट जब्त :–**

निर्धारित समयान्तर्गत लौट के वनोपज की निकासी क्रेता द्वारा न लिये जाने पर लौट के विरूद्ध जमा समस्त धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी एवं लौट के वनोपज पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का स्वामित्व हो जायेगा, जिसपर क्रेता का कोई आवेदन मान्य नहीं होगा और किसी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नहीं होगा। उक्त लौट की बिक्री/निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

13. **विविध/अन्य शर्तें/निर्देश:–**

13.1 लौट के देयक जमा करने/निकासी की अन्तिम दिन में आवकाश होने की दशा में अगला कार्यदिवस अनुमन्य है।

13.2 ई–नीलाम में भाग लेने वाले क्रेता द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने तथा अन्य क्रेताओं को नीलाम में बोली देने से रोकने पर पंजीकरण निरस्त कर काली सूची में दर्ज कर किये जाने की कार्यवाही होगी।

13.3 वन निगम से क्रय कि गयी लौट को पुनः बिक्री प्रथम क्रेता द्वारा वन निगम के डिपो मे नही की जा सकेगी। वन निगम वास्तविक क्रेता जिसके नाम बिक्री अनुमोदित की गई होगी, को ही निकासी की अनुमति प्रदान करेगा।

13.4 ई–नीलाम मे क्रेता की एक डिपो में अधिक जमा धनराशि दूसरे डिपो में क्रय की गई लौट के विरूद्ध समायोजित नही किया जायेगा।

13.5 एक क्रेता की वन निगम में जमा धनराशि दूसरे क्रेता के नाम किसी भी दशा में हस्तान्तरित नही की जायेगी एवं क्रेता द्वारा एक लौट में अधिक जमा धनराशि को अपने दूसरे लौट के विक्रय मूल्य के विरूद्ध समायोजित भी नहीं कराया जा सकेगा।

14. **शून्यकाल :–**

उत्तराखण्ड वन विकास गिनम के डिपुओं से बिक्री किए गए वनोपज की निकासी लेने में अपरिहार्य परिस्थिति में हुए किसी प्रकार के व्यवधान जिसमें क्रेता उत्तरदायी न हो की अवधि को शून्यकाल घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम को होगा।

पत्रांक 1608 दिनांक 9.7.2020 08.07.2020 8.7.2020

15. **आर्बिट्रेटर (Arbitrator) :-**

इन शर्तों के क्रियान्वयन सम्बन्धी विवादों में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, आर्बिट्रेटर (Arbitrator) होगे, जिनका निर्णय अन्तिम एंव दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी न्यायियक विवाद के लिए क्षेत्राधिकार सम्बन्धित विक्रय प्रभाग का कार्यक्षेत्र होगा।

16. **शर्तों/निर्देशों के परिवर्तन का अधिकार :-**

उक्त सम्बन्धी किसी भी नियम/शर्त को प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित, अतिक्रमित, निष्प्रभावी, परिवर्तन किया जा सकता है।

08.07.2020.

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

पत्रांक 190/1608

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषितः-

1. अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक(उ0/कु0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून/हल्द्वानी
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. समस्त प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/उन्य समस्त प्रबन्धक/अधिकारी, उ0 व0 वि0 नि0।
4. आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मु0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून।
6. समस्त प्रबन्धक/अधिकारी (मु0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून।
7. मै0 आई0टी0आई0 लिमिटेड, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
8. प्रति (1) शिविर (2) गार्ड फाइल (नोटिस बोर्ड)

08.07.2020.

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

पत्रांक 1608 दिनांक 9.7.2020